राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनु.कोचिंग/सान्याअवि/21/पार्ट/ 317597 **जयपुर, दिनांक :** 25/3/2025

संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.... (समस्त)

विषय : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉँच/ सत्यापन किये जाने के सम्बंध में।

प्रसंग : जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डीडवाना-कुचामन के पत्र दिनांक 12.03.2025

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की प्रोविजनल मैरिट सूची जारी कर आपकी एसएसओ आईडी पर जॉच/सत्यापन हेतु प्रदर्शित करवा दी गई थी।

इस सम्बंध में योजनान्तर्गत ऑनलाईन प्राप्त प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच/सत्यापन में बैंक खाते एवं आय प्रमाण पत्र के सम्बंध में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (पत्रांक 21178 दिनांक 15.11.2024) के बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु "D" के क्रम में आय प्रमाण पत्र के सम्बंध में विभाग द्वारा योजनान्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड आय-प्रमाण पत्र में

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar
Designation: Additional Director
Date: 2025.03.25 17:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14360570

Scanned with OKEN Scanner

उत्तरदायी व्यक्ति यथा- संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/प्रधान जिला परिषद सदस्य/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर/नगर निगम सदस्य/ नगरपालिका सदस्य/संबधित पीएचसी/सीएससी के चिकित्सक/बी.डी.ओ/सहायक अभियंता/सरकारी स्कूल/कॉलेज का प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/व्याख्यता को भी आय प्रमाण पत्र में उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा जारी साक्ष्य प्रमाण को भी माना जावें।

साथ ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (पत्रांक 21178 दिनांक 15.11.2024) के बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु "C" एवं विन्दु संख्या 14 के उपबिन्दु "A" क्रम में योजनान्तर्गत केवल जिन परीक्षाओं में आवास/भोजन भत्ते का भुगतान किया जाना है उन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के आवेदन में ही अभ्यर्थी के स्वयं का बैक खाता अथवा अभ्यर्थी का उसके माता/पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त बैक खाता के साक्ष्य स्वरूप आवेदन में बैंक खाते की जॉच/सत्यापन किये जाने के प्रावधान के स्थान पर विभाग द्वारा पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों की अंतिम मैरिट सूची जारी करने के उपरान्त उस मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सम्बधित कोचिंग संस्थान में ज्वाईन कर लिए जाने के उपरान्त सम्बधित अभ्यर्थियों को एसएमएस अथवा अन्य किसी उचित माध्यम से सूचित कर अभ्यर्थी को उसके बैंक खाता अथवा उसके माता/पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त बैक खाता का पूर्ण एवं सही विवरण अनिवार्य रूप से भरवाया जावेगा एवं साक्ष्य के रूप में सम्बधित बैंक खाते की पासबुक को पोर्टल पर अपलोड करवाया जावेगा तथा उस लाभार्थी को आवास/भोजन भत्ते के भुगतान से पूर्व उक्तानुसार भरे गए विवरण एवं बैंक पास बुक का सही एवं पूर्ण मिलान सम्बधित विभागीय जिलाधिकारी के स्तर पर किया जावेगा। अतः बैंक खाते के कारण किसी भी आवेदन पत्र को निरस्त नहीं किया जावें। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति)

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar
Designation: Additional Director
Date: 2025.03.25 17:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14360570

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनु.कोचिंग//साम्याअवि/21/पार्ट/ 31797-31808 जयपुर, दिनांक : 25/3/2025
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः.

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सयुंक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर।
9. आयुक्त, विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
12. जिला कलक्टर समस्त।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
14. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. सयुंक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त योजना को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाये जाने के सम्बंध में सम्बधित निर्देशित करावें।
16. वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक (योजना)/ अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण)/ सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ उपनिदेशक (छात्रवृत्ति), सहायक निदेशक (अनुप्रति), मुख्यावास।
17. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति)

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar
Designation: Additional Director
Date: 2025.03.25 17:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14360570

Scanned with OKEN Scanner